



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर : "नारंग टावर", तिसरी मंजिल, उपआयुक्त यातायात पुलिस (नागपुर शहर)
कार्यालय के सामने, पाम रोड, सिविल लाईन्स नागपुर-440 001 महाराष्ट्र टेलि. 0712-2520091, 2980554
ई-मेल : ronagpur@nhai.org वेबसाइट : www.nhai.gov.in



National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Regional Office - Nagpur : "Narang Towers", 3rd Floor, Opp. to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City), Palm Road, Civil Lines, Nagpur- 440 001 Maharashtra. Tel. 0712-2520091, 2980554
e-mail : ronagpur@nhai.org website : www.nhai.gov.in

NHAI/RO/NAG/UT-467/NH-353D/MSEDCL/2025-26/ 173

Date: 21.04.2025

Invitation of Public Comments

Sub: 4 laning of Nagpur-Umred section of NH-353D from km 7.300 to km 48.400 on EPC Mode -Proposal for permission of laying of overhead 11 kv line laong the road Highway NH-353D (Nagpur-Umred) from Umargaon to Nima road, 11 kv Adhyali feeder under RDSS Ag FS Scheme under congress Nagar Division-Reg.

Ref.:

1. PD, PIU Nagpur letter no. 162 dated 09.04.2025.
2. EE, Congress Nagar Div. MSEDCL, Nagpur letter no. 846 dated 24.02.2025.

It is to inform all concern that M/s MSEDCL, letter under reference (2) has submitted a proposal for the subjected work and PD, PIU, Nagpur has recommended the above proposal vide letter under reference (1) for approval of the Competent Authority / Highway Administrator.

2. The alignment proposed by that M/s MSEDCL is as follows:

- Laying from km 17.500 to km 16.300 on RHS and from km 16.300 to km 14.200 on LHS.

3. As per Para-4 of Ministry's Circular No.RW/NH-33044/29/2015/S&R(R), dated 22.11.2016, the Highway Administration shall be put out in the public domain for 30 days for seeking claims and objections (on grounds of public inconvenience, safety and general public interest).

4. In view of the above, the comments / objections of affected public is hereby invited with reference to the Ministry's circular dated 22.11.2016 due to above utility line on the subjected stretch. The objections / comments may be addressed to the below mentioned address within 30 days from issuance of public comments, beyond due date, no comments/ objections will be accepted.

The Regional Officer,

Regional Office - Nagpur

National Highways Authority of India,

"Narang Towers", 3rd Floor,

Opp.to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City),

Palm Road, Civil Lines, Nagpur-440 001, Maharashtra

Tel : 0712-2520091 Email :

निर्मल एम. झाडे
21/4/25

(निर्मल एम. झाडे)

महाप्रबंधक (तकनीकी)

Copy to:

1. Web Admn., NHAI, HQ, New Delhi- for uploading in NHAI's website [web-admin@nhai.org]
2. Director, NIC, New Delhi- for uploading in Ministry's website [mansoor@nic.in]

मुख्यालय : जी-5 एवं 6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली - 110 075

Head Office : G-5 & 6, Sector-10, Dwarka, New Delhi - 110 075



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर : "नारंग टावर", तिसरी मंजिल, उपआयुक्त यातायात पुलिस (नागपुर शहर)
कार्यालय के सामने, पाम रोड, सिविल लाइन्स नागपुर-440 001 महाराष्ट्र टेलि. 0712-2520091, 2980554
ई-मेल : ronagpur@nhai.org वेबसाइट : www.nhai.gov.in



National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Regional Office - Nagpur : "Narang Towers", 3rd Floor, Opp. to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City), Palm Road, Civil Lines, Nagpur- 440 001 Maharashtra. Tel. 0712-2520091, 2980554
e-mail : ronagpur@nhai.org website : www.nhai.gov.in

एनएचएआई/आरओ/एनएजी/यूटी-467/एनएच-353डी/एमएसईडीसीएल/2025-26/ दिनांक: 21.04.2025

सार्वजनिक टिप्पणियों का आमंत्रण 173

विषय: एनएच-353डी के नागपुर - उमरेड खंड को ईपीसी मोड पर किमी 7.300 से किमी 48.400 तक 4 लेन का बनाना - उमरगांव से नीमा रोड तक एनएच-353डी (नागपुर- उमरेड) राजमार्ग के किनारे 11 केवी ओवरहेड लाइन बिछाने की अनुमति का प्रस्ताव, 11 केवी कांग्रेस नगर डिवीजन के अंतर्गत आरडीएसएस एजी एफएस योजना के तहत अध्यायी फीडर-रेगा।

संदर्भ:

1. पीडी, पीआईयू नागपुर पत्र क्रमांक 162 दिनांक 09.04.2025।
2. ईई, कांग्रेस नगर डिवीजन एमएसईडीसीएल, नागपुर पत्र क्रमांक 846 दिनांक 24.02.2025।

सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि मेसर्स एमएसईडीसीएल ने संदर्भ (2) के तहत पत्र के तहत विषयगत कार्य के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और पीडी, पीआईयू, नागपुर ने सक्षम प्राधिकारी / राजमार्ग प्रशासक के अनुमोदन के लिए संदर्भ (1) के तहत उपरोक्त प्रस्ताव की सिफारिश की है।

2. मेसर्स एमएसईडीसीएल द्वारा प्रस्तावित संरक्षण इस प्रकार है:

- किमी 17.500 से किमी 16.300 तक दाईं ओर तथा किमी 16.300 से किमी 14.200 तक बाईं ओर बिछाया जाएगा।

3. मंत्रालय के परिपत्र संख्या आरडब्ल्यू/एनएच-33044/29/2015/एमएंडआर(आर), दिनांक 22.11.2016 के पैरा-4 के अनुसार, राजमार्ग प्रशासन को दावे और आपत्तियां (सार्वजनिक असुविधा, सुरक्षा और सामान्य सार्वजनिक हित के आधार पर) मांगने के लिए 30 दिनों के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा जाएगा।

4. उपरोक्त के मद्देनजर, मंत्रालय के दिनांक 22.11.2016 के परिपत्र के संदर्भ में, संबंधित खंड पर उपरोक्त उपयोगिता लाइन के कारण प्रभावित जनता की टिप्पणियाँ/आपत्तियाँ आमंत्रित की जाती हैं। आपत्तियाँ/टिप्पणियाँ सार्वजनिक टिप्पणियाँ जारी करने से 30 दिनों के भीतर नीचे दिए गए पते पर भेजी जा सकती हैं, नियत तिथि के बाद कोई भी टिप्पणी/आपत्तियाँ स्वीकार नहीं की जाएंगी।

क्षेत्रीय अधिकारी,

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर

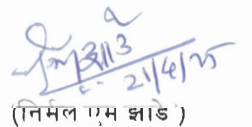
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,

"नारंग टावर", तीसरी मंजिल,

पुलिस उप आयुक्त यातायात कार्यालय के सामने (नागपुर शहर),

पाम रोड, सिविल लाइन्स, नागपुर-440 001, महाराष्ट्र

दूरभाष : 0712-2520091 ईमेल :


(निर्मल एम झाडे)

महाप्रबंधक (तकनीकी)

में कॉपी:

1. वेब प्रशासन, एनएचएआई, मुख्यालय, नई दिल्ली - एनएचएआई की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु [web-admin@nhai.org]
2. निदेशक, एनआईसी, नई दिल्ली - मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु [mansoor@nic.in]